उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-45/2025/1049732/60-1099/319/2024
लखनऊ::दिनांक:: 06 अगस्त, 2025

कार्यालय ज्ञाप

"उ0प्र0 महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998" के परिशिष्ट में पदों हेतु निर्धारित "शैक्षिक अर्हता" के साथ-साथ "समकक्ष अर्हता" का भी विधान है। उक्त समकक्षता के संबंध में चयन संस्थाओं (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज तथा उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ) द्वारा कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07.10.2021 एवं शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का-2-312एलसी/2022, दिनांक 19.07.2023 के क्रम में "समकक्ष अर्हता" को स्पष्ट किये जाने की अपेक्षाएं की जा रही हैं। इस संबंध में विभाग द्वारा चयन संस्थाओं को प्रेषित कतिपय अधियाचन लम्बित होने के दृष्टिगत निदेशालय महिला कल्याण के विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से "समकक्ष अर्हता" को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के क्रम में "उ0प्र0 महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998" के परिशिष्ट के क्रम संख्या-1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16 एवं 20 पर उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित "शैक्षिक अर्हता" की "समकक्ष अर्हता" का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से मा0 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित "समकक्षता समिति" द्वारा किया गया है।

3- प्रकरण में कार्मिक विभाग से प्राप्त अभिमत निम्नवत है:-

> "स्पष्ट किया जाना है कि किसी पद की "शैक्षिक अर्हता" का उल्लेख उस पद के संगत नियमावली में स्पष्ट रूप से किये जाने की व्यवस्था है। सामान्यतः पद के सापेक्ष निर्धारित शैक्षिक अर्हता में समकक्ष अर्हता का भी उल्लेख रहता है। यदि प्रशा0 विभाग उक्त पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता में बिना किसी बदलाव के केवल समकक्ष अर्हता के बिन्दु पर समकक्षता को निर्धारित करने की कार्यवाही करते हैं तो प्रशा0 विभाग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त कार्यकारी आदेश के माध्यम से करने पर विचारण कर सकते हैं।"

4- "उ0प्र0 महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998" के परिशिष्ट के क्रम संख्या-1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16 एवं 20 पर उल्लिखित पदों हेतु निर्धारित "शैक्षिक अर्हता" की "समकक्ष अर्हता" के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से मा0 कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित "समकक्षता समिति" के निर्णय एवं प्रस्तर-3 में उल्लिखित कार्मिक विभाग के अभिमत के अनुसार प्रश्नगत नियमावली के परिशिष्ट में उल्लिखित समकक्ष अर्हता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क्रमांक	सेवा नियमावली के परिशिष्ट का क्रम संख्या	पद का नाम	"उ0प्र0 महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998" में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता	नियमावली में "शैक्षिक अर्हता" के अन्तर्गत उल्लिखित "समकक्ष अर्हता" का निर्धारण
1.	1	मनोवैज्ञानिक	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ Clinical Psychology या Social

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मनोवैज्ञानिक परीक्षण, रसायन-मनोविज्ञान, प्रोजेक्टिव तकनीक में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।	Psychology या Psychotic Psychology में स्नातकोत्तर उपाधि।
2.	2	प्लेसमेण्ट आफिसर	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज कार्य या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बाल विकास में डिप्लोमा।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से Women Studies या Gender Studies या Business Administration में स्नातकोत्तर उपाधि।
3.	4	उद्धार अधिकारी	1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। 2- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से समाज सेवा प्रशासन में डिप्लोमा।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से Women Studies या Gender Studies या Business Administration में स्नातकोत्तर उपाधि।
4	6	सहायक अधीक्षक (सम्प्रेक्षण गृह और बाल सदन)	अनिवार्यः- **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। **(दो)** किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का एक वर्ष का अनुभव। अधिमानी- किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या सामाजिक प्रविधि में डिप्लोमा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज कार्य विषय में स्नातक उपाधि।
5	7	सहायक अधीक्षक (जिला शरणालय एवं प्रवेशालय, केन्द्र महिला)	अनिवार्यः- **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। **(दो)** किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक सामाजिक संगठन में या किसी सरकारी संगठन में प्रशासनिक या पर्यवेक्षकीय कार्य का एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। अधिमानीः- समाज कार्य में डिप्लोमा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज कार्य विषय में स्नातक उपाधि।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	8	अन्वेषक	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या समाज कार्य या अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्र में एक वर्ष का कार्यकारी अनुभव।	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या Women Studies या Gender Studies विषयों में से किसी एक में स्नातक उपाधि या विधि त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय उपाधि।
7	10	सहायक अधीक्षक (क) वर्किंग ओमेन हास्टल (ख) राजकीय संरक्षण गृह (ग) राजकीय उत्तर रक्षा गृह (घ) राजकीय उद्धार गृह	**अनिवार्य:-** **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। **(दो)** किसी स्वैच्छिक सामाजिक संगठन में या सरकारी संगठन में प्रशासनिक या पर्यवेक्षकीय कार्य का एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। **<u>अधिमानी:-</u>** किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक विज्ञान या समाजिक सेवा या सामाजिक प्रविधि या समाज कार्य में डिप्लोमा।	**अनिवार्य:-** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में मनोविज्ञान या समाज कार्य के साथ स्नातक उपाधि।
8	16	व्यायाम प्रशिक्षक	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा या योग या खेल प्रबंधन में स्नातक उपाधि।
9	20	पर्यवेक्षक	अनिवार्य:- **(एक)** भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। अधिमानी:- समाज कार्य या शिक्षा से सम्बन्धित किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था में पर्यवेक्षण का एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज कार्य विषय में स्नातक उपाधि।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त प्रस्तर-4 की तालिका का कॉलम-5 "उ0प्र0 महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998" के परिशिष्ट के साथ पढ़ा जाएगा।

6- प्रश्नगत कार्यालय ज्ञाप "उ0प्र0 महिला कल्याण विभाग अलिपिकीय कर्मचारी सेवा नियमावली, 1998" में यथासमय उक्तानुसार संशोधन किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

(3) उ0प्र0 अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लखनऊ।

(4) कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।